कार्यालय : – जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला

क्रमांक : –स्था. / 2020 / कॉविड–19 / 175 दिनांक :– 15.09.2020

– कार्यालय आदेश –

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 25 / पी.आई. / 2020 दिनांक 14.09.2020 की पालना में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. दिनांक 15.09.2020 से 01.10.2020 तक जोधपुर जिला न्यायक्षेत्र के सभी अधीनस्थ न्यायालय / विशिष्ट न्यायालय प्रत्येक कार्यदिवस पर निर्धारित समय के अनुसार खुलेंगे तथा उक्त परिपत्र में दिए गए निर्देशानुसार आवश्यंक प्रकृति के न्यायिक कार्य प्रत्येक कार्यदिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिए Vidyo/WhatsApp/ Skype/Jitsi or Tele-conferencing या अन्य सुगम तरीके से All in one Computer और Smart Phone With Official sim के माध्यम से करेंगें। इस हेतु पीठासीन अधिकारी आवश्यकतानुसार अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कार्य करने हेतु बुला सकते है, परन्तु उनके बैठने की व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित की जाये, ताकि उनके मध्य पर्याप्त दूरी बनी रहे तथा कर्मचारीगण को मास्क पहनकर ही न्यायालय परिसर में आने हेतु पाबन्द किया जाए। शेष कर्मचारीगण को कार्यालय में बुलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, परन्तु उनको रोटेशन के आधार पर कार्यालय में बुलाने हेतु अपने निवास पर उपस्थित रहने हेतु पाबन्द किया जाए तथा उनको यह भी निर्देशित किया जाए कि वे अनावश्यक बाहर घूमने–फिरने पर अंकुश रखें जिससे बाहरी व्यक्तियों से उनका सम्पर्क कम से कम हो सकें।

2. समस्त पीठासीन अधिकारीगण को यह भी निर्देशित कियां जाता है कि जोधपुर जिला न्यायक्षेत्र के कर्फ्यूग्रस्त इलाकों / कन्टेनमेन्ट इलाकों में रहने वाले कर्मचारीगण को कार्यालय में उपस्थित रहने के लिए बाध्य न किया जाए तथा ऐसे कर्मचारी जिनमें फ्लू जैसे लक्षण हो, वे तुरन्त अपने पीठासीन अधिकारी को इस संबंध में अवगत करावें और पीठासीन अधिकारी ऐसे कर्मचारियों को चिकित्सीय अवकाश पर जाने हेतु हिदायत देवें अन्यथा इससे संक्रमण की सम्भावना बढ़ सकती है।

3. जोधपुर जिला न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिवक्तागण एवं पक्षकारान् को अनावश्यक रूप से न्यायालय में बुलाने हेतु जोर न देवें। अभियुक्त / परिवादी / गवाह / पक्षकारान् की अनुपस्थिति में उनके विरूद्ध किसी भी प्रकार का प्रतिकूल आदेश (Adverse Order) पारित करने से बचा जावे।

4. समस्त अधिवक्तागण जमानत प्रार्थना–पत्र, सुपुर्दगी प्रार्थना–पत्र, जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना–पत्र, राजीनामा, विड्रॉवल प्रार्थना पत्र और अन्य आवश्यक प्रार्थना–पत्र व लिखित बहस यदि किसी मामलें में पेश करनी हो, स्केन कर संबंधित न्यायालय की मेल आई.डी. अथवा जिला न्यायालय की मेल आई.डी. पर मेल ही करें उन्हें व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है और अधिववक्तागण अपना मोबाईल नम्बर भी प्रार्थना–पत्र व लिखित बहस यदि कोई हो पर अंकित करें ताकि आवश्यकता होने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके तथा उसके साथ वकालतनामा भी स्केन कर मेल करें तथा न्यायालयों में नियमित रूप से कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त समस्त दस्तावेजात संबंधित न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश किए जावें, ताकि इन दस्तावेजात का किसी भी प्रकार से दुरूपयोग न हो। अधिवक्तागण जमानतनामा, मुचलका, सुपुर्दगीनामा भी स्केन कर मेल करें और पक्षकारान् के मोबाईल नम्बर भी उपलब्ध हों तो अंकित करें तथा जुर्माना जमा कराए जाने की स्थिति में ePay